आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या –42 / 2022

रेखा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
09.02.2023	यह अपीलवाद माननीय पटना उच्च न्यायालय, में दायर CWJC No. 9177/2020 में दिनांक 03.01.2022 को पारीत आदेश के आलोक में दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समादेश में अंकित है कि :– "Matter relates to selection and appointment to the post of Anganbari Sevika for Anganbari Centre no 143 situated under ward no 12 at Gram Panchayat Raj Manguraha tajpur situated at Village-Kaithaulia, P.O - Birhma Bazar, P.S -Baruraj, Block -Motipur, District-Muzaffarpur. The petitioner's appeal against non selection and selection of 10th Respondent is pending consideration before the 4th Respondent, The Divisional Commissioner, Tirhut Division, Muzaffarpur. He is hereby directed to decided the petitioner's appeal in accordance with law after giving due opportunity of hearing to the petitioner and 10th Respondent and decide the petitioner's appeal within a period of three months from the date of receipt of this order. With the above observations, writ petition stands disposed off." माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से उक्त मामले में आवेदिका के मामले से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करते हुए आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना। सुनवाई	

WEB COPY NOT OFFICIAL

के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया की उनका वाद आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2019 के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में लंबित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में अंकित है की ***आवेदिका के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कोई भी अपीलवाद दायर नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा सामान्य परिवाद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिया गया था, जिसे तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया था।*** उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदिका ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में कोई वाद दायर न कर परिवाद (आवेदन) दिया गया था। इस न्यायालय (आयुक्त) में भी आवेदिका का कोई वाद पूर्व से लंबित नही है। वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख (आम सभा पंजी) अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है की प्रस्तुत मामले में समाज कल्याण विभाग आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1159 दिनांक 27.03.2019 के आलोक में निकाले गए विज्ञापन से संबंधित है, अर्थात आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2019 से पूर्व के विज्ञापन के आधार पर बहाली है। अतएव दिनांक 27.05.2019 के बाद चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन से आच्छादित मामले ही आयुक्त न्यायालय में पोषणीय है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।"***

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर खारिज किया जाता है तथा आवेदिका को विभागीय पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के समक्ष वाद दायर करने के निदेश के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL